उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग 2

संख्या 510 /9- 2-2015- 1 सीमा विस्तार/14

लखनऊ दिनांक 30 मार्च , 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन 1916) की धारा 3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करते है उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार जनसामान्य की सूचना के लिए और उसके सबंध में आपत्तियाॅ या सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2 प्रस्तावित अधिसूचना के सबंध में आपत्तियाॅ या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-2, बापू भवन, , लखनऊ को सम्बोधित और लिखित रूप से प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्ही आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होगें।

अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या-2 सन 1916) की धारा-3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिये जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में सेवायोजन का प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करते हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमा नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट है , संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ क्षेत्र होगा और उक्त लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए एक नगर पालिका परिषद का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पालिका परिषद, खोड़ा-मकनपुर,जनपद गाजियाबाद के रूप में जाना जायेगा।

---------2/

अनुसूची एक

उत्तर और दक्षिण	ग्राम खोड़ा (आंशिक) के गाटा संख्या	1 से 537, 666 से 668, 166/884,167/883
पूरब और पश्चिम	ग्राम मकनपुर (आंशिक) के गाटा संख्या	761 से 772, 776 से 780, 782 से 787 और 789, 867 से 871, 909 से 912, 936 से 1025, 1201 से 1207, 1217 से 1273

अनुसूची दो

नगर पालिका परिषद, खोड़ा-मकनपुर,जनपद गाजियाबाद की चौहददी

उत्तर- (ग्राम खोड़ा आंशिक)- राष्ट्रीय राजमार्ग 24 का उत्तरी भाग।

दक्षिण- (ग्राम खोड़ा आंशिक)- ग्राम चौड़ा सादतपुर, सेक्टर 62 नोयडा, जनपद गौतमबुद्वनगर की सीमा।

पूरब- (ग्राम-मकनपुर आंशिक)-नोयडा विकास प्राधिकरण, सेक्टर 62 की ओर जाने वाली सडक।

पश्चिम- (ग्राम- मकनपुर आंशिक)- दिल्ली प्रान्त, ग्राम घडोली की सीमा।

/

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव।

संख्या - 510 (1)/9-2-15-1 सीमा विस्तार/14, तद्‌दिनांक

उपर्युक्त की अंग्रेजी प्रतिलिपि सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को सरकारी असाधारण गजट के आगामी अंक के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड - ख में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना को उपरोक्तानुसार सरकारी गजट में प्रकाशित कराकर इसकी 50 प्रतियाँ नगर विकास अनुभाग-2 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

/

(आर0वी0सिंह)

उपसचिव।

-------3/

संख्या - 510 (2)/9-2-15-1 सीमा विस्तार/14, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) आयुक्त,मेरठ मंडल, मेरठ।

(2) निदेशक,नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

(3) जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना/आदेश को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने एवं दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(4) लोक शिकायत अनुभाग-2 को उनके कम्प्यूटर संदर्भ संख्या - पीजीओ 5-261636/लो0शि0-2/2013, दिनांक 6-5-2013 के सन्दर्भ में।

(5) कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, नगर विकास विभाग।

(6) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग ।

(7) गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आर0वी0सिंह)

उपसचिव।